"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2015—माघ 24, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 1-72/2001/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा वन संरक्षक वेतनमान 37400-67000, ग्रेड पे 8900 में पदोन्नत निम्नांकित अधिकारियों को स्तंभ-4 में दर्शाये अनुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारियों का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जे. के. कटकवार, (1999)	वन मण्डलाधिकारी, कार्य आयोजना, वनमंडल अंबिकापुर.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सरगुजा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री पी. के. केशर, (1999)	संचालक, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, बिलासपुर.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) बिलासपुर.
3.	श्री देवाशीष बैनर्जी (1999)	उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम, रायपुर.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) रायपुर
4.	श्री आशुतोष मिश्रा, (1999)	वनमंडलाधिकारी, महासमुंद, वन मण्डल, महासमुंद छ.ग.	वन संरक्षक, वन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली वन मण्डल, रायपुर.
5.	श्री ए. बी. मिंज, (2000)	वनमंडलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल, बिलासपुर.	अपर निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर.
6.	श्री राजेश नान्होरया, (2000)	उप महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ.	वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर.
7.	श्री ए. के. वाहने (2000)	वन मण्डलाधिकारी, बालोद वनमंडल बालोद, छ.ग.	क्षेत्रीय महाप्रबंधक, रायपुर वन विकास निगम, रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर.

2. श्री ए. के. विश्वास, (1994), वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वन संरक्षक (उत्पादन), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री ए. एच. कपासी, (1995), अपर निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वन संरक्षक (विकास/योजना), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. प्रतिनियुक्ति में पदस्थ भारतीय वन सेवा के अधिकारी, यदि संवर्ग में वन संरक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं अथवा बंद लिफाफा खोला जाता है, तो ऐसी स्थिति में संवर्ग के कनिष्ठतम वन संरक्षक को पदावनत किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2015

क्रमांक ई-1-18/2014/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित अधिकारी को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1)(2) के परन्तुक के अंतर्गत आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनकी अर्हता दिनांक 01-01-2015 से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष	पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री श्रुति सिंह (2006)	प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित तथा अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड.	प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित तथा अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड.
2.	श्री अंकित आनन्द (2006)	कलेक्टर, बस्तर	कलेक्टर, बस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री सी. आर. प्रसन्ना (2006)	संचालक, समाज कल्याण एवं अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध संचालक, कृषि विपणन मंडी बोर्ड.	संचालक, समाज कल्याण एवं अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध संचालक, कृषि विपणन मंडी बोर्ड.
4.	श्री एलेक्स व्ही. एफ पाल मेनन (2006)	कलेक्टर, बलरामपुर	कलेक्टर, बलरामपुर
5.	श्री भुवनेश यादव (2006)	उप सचिव, सहकारिता विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार-संचालक, उद्यानिकी.	संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार-संचालक, उद्यानिकी.
6.	श्री सोलई भारती दासन (2006)	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर.	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर.
7.	श्री पी. दयानन्द (2006)	कलेक्टर, कबीरधाम	कलेक्टर, कबीरधाम

2. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 11030/36/2008-AIS-II, दिनांक 21-05-2010 में निहित मार्गदर्शन अनुसार कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देय तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से दिया जा सकता है.

3. उपरोक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड-Non Functional Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में अनिवार्यत: भाग लेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2015

क्रमांक/एफ 1-14/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 1997 आवंटन वर्ष के श्री दीपांशु विजय काबरा, को आवंटन वर्ष से 18 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2015 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3(2) (ii) के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात दिनांक 01-01-2015 से सेवा के पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान (पे बैंड-4, रुपये 37400-67000 + ग्रेड पे रुपये 10,000/-) में पदोन्नत किया जाता है, तथा उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक, एस.आई.बी./नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. राज्य शासन, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 2007 के नियम-9 के तहत उप पुलिस महानिरीक्षक, एस.आई.बी. के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिरीक्षक के पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

3. भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11012/15/2014-IPS-I दिनांक 27-11-2014 द्वारा उक्त वेतनमान में पदोन्नति हेतु 02 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2015

क्रमांक/एफ 1-14/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 2002 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2015 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3 (2) (ii)

के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात दिनांक 01-01-2015 से सेवा के चयन श्रेणी वेतनमान (पे बैंड 37400-67,000+ग्रेड पे रु. 8,700/-) प्रदान किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम
1.	श्री के. सी. अग्रवाल, भापुसे (2002) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
2.	श्री के. के. अग्रवाल, भापुसे (2002) पुलिस अधीक्षक (रेल) एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक योजना/प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.

2. भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11012/15/2014-IPS-I, दिनांक 27-11-2014 द्वारा उक्त वेतनमान में पदोन्नति हेतु 03 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2015

क्रमांक/एफ 1-14/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 2001 आवंटन वर्ष के डॉ. आनंद छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग (छ.ग.) को आवंटन वर्ष से 14 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2015 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3(2) (ii) के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात दिनांक 01-01-2015 से सेवा के उप पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान (पे बैंड-4, रुपये 37400-67000 + ग्रेड पे रुपये 8,900/-) में पदोन्नत किया जाता है, तथा उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 2007 के नियम 9 के तहत पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग (छ.ग.) के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठता एवं जिम्मेदारी में भारतीय पुलिस सेवा के उप पुलिस महानिरीक्षक के पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

3. भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11012/15/2014-IPS-I दिनांक 27-11-2014 द्वारा उक्त वेतनमान में पदोन्नति हेतु 02 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2015

क्रमांक/एफ 1-14/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस के वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, श्री जयदीप सिंह, भापुसे (सीजी-1997) को, भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3(2) (ii) के अंतर्गत, दिनांक 01-01-2015 से सेवा के Super Time Scale पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान (Pay Band-4: रुपये 37,400-67,000 + ग्रेड पे रुपये 10,000/-) में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है.

2. भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11012/15/2014-IPS-I दिनांक 27-11-2014 द्वारा उक्त वेतनमान में पदोन्नति हेतु 02 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 दिसंबर 2014

क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.—भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, संलग्न परिशिष्ट "क" एवं "ख" में दर्शाये गए नगरीय निकायों (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषद उप निर्वाचन) के आम चुनाव के सिलसिले में प्रथम चरण के मतदान की तिथि सोमवार, दिनांक 29 दिसंबर 2014 एवं द्वितीय चरण के मतदान की तिथि बुधवार दिनांक 31 दिसंबर, 2014 को मतदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

2. क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5 राज्य शासन एतद्द्वारा, उपरोक्तानुसार नगरीय निकायों के आम चुनाव के सिलसिले में यह भी घोषित करता है कि प्रथम चरण के मतदान की तिथि सोमवार, दिनांक 29 दिसंबर, 2014 एवं द्वितीय चरण के मतदान की तिथि बुधवार दिनांक 31 दिसंबर, 2014 को मतदान करने के लिए संलग्न परिशिष्ट "क" एवं "ख" में दर्शाये गये क्षेत्रों में सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

परिशिष्ट "क"

मतदान के प्रथम चरण (सोमवार, दिनांक 29 दिसंबर, 2014) में सम्मिलित नगर पालिकाओं की सूची

क्र. (1)	जिला (2)	नगरपालिका का नाम (3)		वार्डों की संख्या (4)
1.	बिलासपुर	नगरपालिका निगम, बिलासपुर		66
		नगरपालिका परिषद्, तिफरा		15
		नगर पंचायत, बोदरी		15
		नगर पंचायत, सिरगिट्टी		15
		नगर पंचायत, संकरी		15
			योग	**126**
2.	मुंगेली	नगर पंचायत, सरगांव		15
			योग	**15**
3.	जांजगीर-चांपा	नगरपालिका परिषद्, चांपा		27
		नगरपालिका परिषद्, जांजगीर-नैला		25
		नगरपालिका परिषद्, अकलतरा		20
		नगरपालिका परिषद्, सक्ती		18
			योग	**90**
4.	कोरबा	नगरपालिका निगम, कोरबा		67
		नगरपालिका परिषद्, दीपका		21
			योग	**88**

(1)	(2)	(3)		(4)
5.	सरगुजा	नगरपालिका निगम, अंबिकापुर		48
			योग	**48**
6.	सूरजपर	नगरपालिका परिषद्, सूरजपुर		18
		नगर पंचायत, भटगांव		15
			योग	**33**
7.	कोरिया	नगरपालिका निगम, चिरमिरी		40
			योग	**40**
8.	रायगढ़	नगरपालिका निगम, रायगढ़		48
		नगर पंचायत, धरमजयगढ़		15
		नगर पंचायत, लैलूंगा		15
			योग	**78**
9.	जशपुर	नगरपालिका परिषद्, जशपुर नगर		20
		नगर पंचायत, बगीचा		15
			योग	**35**
10.	रायपुर	नगरपालिका निगम, रायपुर		70
			योग	**70**
11.	बलौदाबाजार	नगरपालिका परिषद्, भाटापारा		31
		नगर पंचायत, सिमगा		15
			योग	**46**
12.	गरियाबंद	नगरपालिका परिषद्, गरियाबंद		15
		नगर पंचायत, छुरा		15
			योग	**30**
13.	महासमुंद	नगरपालिका परिषद्, सरायपाली		15
		नगर पंचायत, पिथौरा		15
		नगर पंचायत, तुमगांव		15
			योग	**45**
14.	धमतरी	नगरपालिका निगम, धमतरी		40
		नगर पंचायत, आमदी		15
			योग	**55**

(1)	(2)	(3)		(4)
15.	दुर्ग	नगरपालिका निगम, दुर्ग		60
			योग	**60**
16.	बालोद	नगरपालिका परिषद्, दल्लीराजहरा		27
		नगर पंचायत, डौंडी		15
		नगर पंचायत, चिखलाकसा		15
			योग	**57**
17.	बेमेतरा	नगरपालिका परिषद्, बेमेतरा		21
		नगर पंचायत, बेरला		15
		नगर पंचायत, नवागढ़		15
			योग	**51**
18.	राजनांदगांव	नगरपालिका निगम, राजनांदगांव		51
			योग	**51**
19.	कबीरधाम	नगरपालिका परिषद्, कवर्धा		27
		नगर पंचायत, पिपरिया		15
			योग	**42**
20.	बस्तर	नगरपालिका निगम, जगदलपुर		48
			योग	**48**
21.	कोण्डागांव	नगरपालिका परिषद्, कोण्डागांव		22
			योग	**22**
22.	उ. ब. कांकेर	नगर पंचायत, पखांजूर		15
		नगर पंचायत, अंतागढ़		15
			योग	**30**
23.	द.ब. दंतेवाड़ा	नगर पंचायत, दन्तेवाड़ा		15
		नगर पंचायत, गीदम		15
		नगर पंचायत, बारसूर		15
			योग	**45**
24.	सुकमा	नगरपालिका परिषद्, सुकमा		15
			योग	**15**

(1)	(2)	(3)		(4)
25.	नारायणपुर	नगरपालिका परिषद्, नारायणपुर		15
			योग	**15**
26.	बीजापुर	नगरपालिका परिषद्, बीजापुर		15
			योग	**15**

नगर पालिका परिषद् खैरागढ़ के वार्ड क्रमांक-3 के रिक्त पार्षद पद की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन

1.	राजनांदगांव	नगरपालिका परिषद्, खैरागढ़		1
			योग	**1**

परिशिष्ट "ख"

मतदान के द्वितीय चरण (बुधवार, दिनांक 31 दिसंबर, 2014) में सम्मिलित नगर पालिकाओं की सूची

क्र. (1)	जिला (2)	नगरपालिका का नाम (3)		वार्डों की संख्या (4)
1.	बिलासपुर	नगरपालिका परिषद्, तखतपुर		15
		नगरपालिका परिषद्, रतनपुर		15
		नगर पंचायत, बिल्हा		15
		नगर पंचायत, कोटा		15
		नगर पंचायत, पेंड्रा		15
		नगर पंचायत, गौरेला		15
		नगर पंचायत, मल्हार		15
			योग	**105**
2.	मुंगेली	नगरपालिका परिषद्, मुंगेली		22
		नगर पंचायत, लोरमी		15
		नगर पंचायत, पथरिया		15
			योग	**52**
3.	जांजगीर-चांपा	नगर पंचायत, खरौद		15
		नगर पंचायत, नया बाराद्वार		15
		नगर पंचायत, शिवरीनारायण		15
		नगर पंचायत, बलौदा		15
		नगर पंचायत, अड़भार		15

(1)	(2)	(3)	(4)
		नगर पंचायत, जैजेपुर	15
		नगर पंचायत, डभरा	15
		नगर पंचायत, चन्द्रपुर	15
		नगर पंचायत, सारागांव	15
		नगर पंचायत, नवागढ़	15
		नगर पंचायत, राहौद	15
		योग	**165**
4.	कोरबा	नगरपालिका परिषद्, कटघोरा	15
		नगर पंचायत, पाली	15
		नगर पंचायत, छुरीकला	15
		योग	**45**
5.	सरगुजा	नगर पंचायत, सीतापुर	15
		नगर पंचायत, लखनपुर	15
		योग	**30**
6.	सूरजपुर	नगर पंचायत, प्रतापपुर	15
		नगर पंचायत, विश्रामपुर	15
		नगर पंचायत, जरही	15
		योग	**45**
7.	बलरामपुर	नगरपालिका परिषद्, बलरामपुर	15
		नगर पंचायत, रामानुजगंज	15
		नगर पंचायत, वाड्रफनगर	15
		नगर पंचायत, राजपुर	15
		नगर पंचायत, कुसमी	15
		योग	**75**
8.	कोरिया	नगरपालिका परिषद्, मनेन्द्रगढ़	22
		नगर पंचायत, झगराखांड	15
		नगर पंचायत, खोंगापानी	15
		नगर पंचायत, नईलेदरी	15
		योग	**67**
9.	रायगढ़	नगरपालिका परिषद्, खरसिया	18
		नगर पंचायत, घरघोड़ा	15
		नगर पंचायत, सरिया	15
		नगर पंचायत, बरमकेला	15
		नगर पंचायत, किरोड़ीमल नगर	15
		नगर पंचायत, पुसौर	15
		योग	**93**

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	जशपुर	नगर पंचायत, पत्थलगांव	15
		नगर पंचायत, कोतबा	15
		नगर पंचायत, कुनकुरी	15
		योग	**45**
11.	रायपुर	नगरपालिका परिषद्, तिल्दा नेवरा	22
		नगरपालिका परिषद् गोबरा नवापारा	21
		नगरपालिका परिषद्, आरंग	15
		नगर पंचायत, अभनपुर	15
		नगर पंचायत, खरोरा	15
		नगर पंचायत, माना कैम्प	15
		नगर पंचायत, कुंरा	15
		योग	**118**
12.	बलौदाबाजार	नगरपालिका परिषद् बलौदाबाजार	21
		नगर पंचायत, बिलाईगढ़	15
		नगर पंचायत, कसडोल	15
		नगर पंचायत, पलारी	15
		नगर पंचायत, भटगांव	15
		नगर पंचायत टुंडरा	15
		नगर पंचायत, लवन	15
		योग	**111**
13.	गरियाबंद	नगर पंचायत, फिंगेश्वर	15
		नगर पंचायत, राजिम	15
		योग	**30**
14.	महासमुंद	नगरपालिका परिषद्, महासमुंद	30
		नगरपालिका परिषद्, बागबाहरा	15
		नगर पंचायत, बसना	15
		योग	**60**
15.	धमतरी	नगर पंचायत, मगरलोड	15
		नगर पंचायत, नगरी	15
		नगर पंचायत, कुरूद	15
		नगर पंचायत, भखारा	15
		योग	**60**
16.	दुर्ग	नगरपालिका परिषद्, कुम्हारी	24
		नगरपालिका परिषद्, अहिवारा	15

(1)	(2)	(3)	(4)
		नगर पंचायत, धमधा	15
		नगर पंचायत, पाटन	15
		नगर पंचायत, उतई	15
		योग	**84**
17.	बालोद	नगरपालिका परिषद्, बालोद	20
		नगर पंचायत, गुण्डरदेही	15
		नगर पंचायत, डौंडीलोहारा	15
		नगर पंचायत, गुरूर	15
		नगर पंचायत, अर्जुन्दा	15
		योग	**80**
18.	बेमेतरा	नगर पंचायत, देवकर	15
		नगर पंचायत, साजा	15
		नगर पंचायत, थान खम्हरिया	15
		नगर पंचायत, परपोडी	15
		योग	**60**
19.	राजनांदगांव	नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़	24
		नगर पंचायत, अम्बागढ़ चौकी	15
		नगर पंचायत, छुई खदान	15
		नगर पंचायत, डोंगरगांव	15
		नगर पंचायत, गंडई	15
		नगर पंचायत, छुरिया	15
		योग	**99**
20.	कबीरधाम	नगर पंचायत, पंडरिया	15
		नगर पंचायत, बोड़ला	15
		नगर पंचायत, पाण्डातराई	15
		नगर पंचायत, सहसपुर लोहारा	15
		योग	**60**
21.	बस्तर	नगर पंचायत, बस्तर	15
		योग	**15**
22.	कोण्डागांव	नगर पंचायत, फरसगांव	15
		नगर पंचायत, केशकाल	15
		योग	**30**

(1)	(2)	(3)		(4)
23.	उ. ब. कांकेर	नगरपालिका परिषद्, कांकेर		21
		नगर पंचायत, भानुप्रतापपुर		15
		नगर पंचायत, चारामा		15
			योग	**51**
24.	द.ब. दन्तेवाड़ा	नगरपालिका परिषद्, किरन्दुल		18
		नगरपालिका परिषद्, बड़ी बचेली		18
			योग	**36**
25.	सुकमा	नगर पंचायत, दोरनापाल		15
			योग	**15**

नया रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 01-04/2014/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रथम चरण बुधवार दिनांक 28-01-2015, द्वितीय चरण रविवार दिनांक 01-02-2015 एवं तृतीय चरण बुधवार दिनांक 04-02-2015 को मतदान के लिये सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-05/2015/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री व्ही. शेट्टीपनावर, मुख्य वनसंरक्षक, राष्ट्रीय बांस मिशन को दिनांक 24-01-2015 से 31-01-2015 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शेट्टीपनावर, मुख्य वनसंरक्षक, राष्ट्रीय बांस मिशन के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शेट्टीपनावर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शेट्टीपनावर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-01/2015/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पी. सी. मिश्रा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 02-01-2015 से 07-01-2015 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-04/2014/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री प्रताप सिंह, भा.व.से., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को दिनांक 12-01-2015 से 07-02-2015 तक कुल 27 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08-02-2015 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-02/2015/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुकृत लाल साव, वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ को दिनांक 09-02-2015 से 05-03-2015 तक कुल 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08-02-2015 एवं दिनांक 06-03-2015 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साव, वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री साव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-20/2014/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आर. के. टम्टा, भा.व.से., अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ को दिनांक 16-02-2015 से 28-02-2015 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14-15 फर. 2015 का पूर्ववर्ती एवं दिनांक 01-03-2015 का पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. उक्त अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टम्टा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में उक्त अधिकारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टम्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-30/2014/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आर. के. गोवर्धन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज.), छत्तीसगढ़ को समसंख्यक आदेश 06-01-2015 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 27-01-2015 से 13-02-2015 तक कुल 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-26 जनवरी तथा 14-15 फरवरी 2015 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गोवर्धन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज.), छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गोवर्धन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोवर्धन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2015

क्रमांक ई 7-44/2004/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विकास शील, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 13-05-2015 से दिनांक 30-05-2015 तक (18 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री विकास शील को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विकास शील अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक-बी-1-20/2014/एक/4.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक बी-1-5/2005/एक/4, दिनांक 14-03-2012 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में स्वीकृत 330 पदों के स्थान पर 372 पदों की नवीन पद संरचना स्वीकृत करता है.

2. नवीन पद संरचना में पदों का श्रेणीवार विभाजन निम्नानुसार होगा :—

स. क्र.	राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में स्वीकृत वेतनमान श्रेणी	राज्य प्रशासनिक सेवा (भरती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्तें) नियम 1975 में निहित प्रावधान अनुसार श्रेणीवार विभाजन का प्रतिशत	कॉलम (3) में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रु. 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन-8900 (अधिसमय वेतनमान श्रेणी)	कुल पदों का 3 प्रतिशत	11

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	रु. 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन-8700 (वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान)	कुल पदों का 6 प्रतिशत	22
3.	रु. 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन-7600 (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	कुल पदों का 18 प्रतिशत	67
4.	रु. 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन-6600 (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान)	कुल पदों का 25 प्रतिशत	93
5.	15600-39100 एवं ग्रेड वेतन-5400 (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान)	कुल पदों का 48 प्रतिशत	179
		कुल योग	**372**

3. संवर्ग में स्वीकृत 372 पदों का विभाजन निम्नानुसार होगा :—

(1)	कर्तव्य पद :—	(अ)	जिलों के लिए	216
		(ब)	अन्य विभागों के लिए	60
(2)	प्रतिनियुक्ति रक्षित	—		73
(3)	अवकाश रक्षित	—		07
(4)	प्रशिक्षण रक्षित	—		16
			योग	**372**

4. उपरोक्तानुसार नवीन पद संरचना के संबंध में वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्र. 2200698, दिनांक 30-10-2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-32/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री डी. श्रवण, भा.पु.से. (2008), पुलिस अधीक्षक, सुकमा को दिनांक 22-12-2014 से दिनांक 09-01-2015 तक (कुल 19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 20 एवं 21-12-2014 तथा दिनांक 10 एवं 11-01-2015 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रवण आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सुकमा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रवण को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रवण, भा.पु.से. (2008) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री श्रवण की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, सुकमा के पद का प्रभार श्री जे. एस. वट्टी, भापुसे, सेनानी, ए.पी.टी.सी., बारसूर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-19/2014/एक-14/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-12-2014 द्वारा श्री अशोक जुनेजा, भा.पु.से. (1989), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 29-12-2014 से दिनांक 07-01-2015 तक (कुल 10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 28-12-2014 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की गई है.

2. तदनुसार श्री जुनेजा की अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पद का प्रभार श्री हिमांशु गुप्ता, आयुक्त सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-30/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री हेमकृष्ण राठौर, भापुसे (1998), अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 26-11-2014 से 09-12-2014 तक (कुल 14 दिवस) के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राठौर, आगामी आदेश तक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राठौर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हेमकृष्ण राठौर, भापुसे (1998) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 1-51/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-10-2014 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2008), पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा (छ.ग.) (वर्तमान में अवकाश पर) को दिनांक 04-11-2014 से 02-05-2015 तक कुल 180 दिवस के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश काल में श्रीमती पारूल माथुर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

3. श्रीमती माथुर की अवकाश अवधि में उनके वेतन/भत्ते अवकाश रक्षित पद के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय, रायपुर द्वारा आहरित किया जाकर भुगतान किया जावेगा.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2008) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2015

क्रमांक 38/53/2015/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राहुल भगत, भापुसे (2005), पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को दिनांक 12-01-2015 से 10-02-2015 तक (कुल 30 दिवस) के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भगत, आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री भगत को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल भगत, भापुसे (2005) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री भगत की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के पद का प्रभार श्री टी. आर. कोसिमा, सेनानी, 6वीं वाहिनी, छसबल, रायगढ़ को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-33/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री एम. अरूण रंगाराजन, भापुसे (परिवीक्षाधीन), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), दुर्ग को दिनांक 08-12-2014 से 17-12-2014 तक (कुल 10 दिवस) के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रंगाराजन, आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री रंगाराजन को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. अरूण रंगाराजन, भापुसे (परिवीक्षाधीन) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 2-18/2010/नौ/55-तीन.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2014" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन नियम- 3 (ख) (4) "आयु सीमा" को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(1) "केवल वे ही अभ्यर्थी बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एन.वाय.एस. के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 25 वर्ष से अधिक न हो."

(2) "केवल वे ही अभ्यर्थी बी.एच.एम.एस. के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रधान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जगदलपुर	बस्तर, कोण्डागांव एवं नारायणपुर	श्रीमती योगिता विनय वासनीक, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर.
2.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	श्रीमती अर्चना भास्कर, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर.

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chief Judicial Magistrate/First Class Judicial Magistrate, mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jagdalpur	Bastar, Kondagaon & Narayanpur	Smt. Yogita Vinay Wasnik, Judicial Magistrate, First Class, Jagdalpur.
2.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Smt. Archana Bhaskar, Judicial Magistrate, First Class, Janjgir-Champa.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 6-27/2013/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष 2008 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची में अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की

परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में उनके सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाये कार्यालय में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरण होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	3.	डॉ. कमल नायक, पिता-स्व. डॉ. हेमलाल नायक C/o डॉ. शक्राजीत नायक, पता-ग्राम-नावापानी/हठितापाली, पोस्ट-बरमकेला, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-नौ जिला-रायपुर (छ.ग.)

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

   (b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा वर्ग 1 तथा 2 भरती नियम, 1966” के प्रावधानों के तहत् शासित होंगे.

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय “मेडिकल बोर्ड” से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई

अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 6-3/2012/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2012 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्य सूची में अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में उनके सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाये कार्यालय में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरण होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	सुश्री प्रतिष्ठा ठाकुर, पिता-श्री प्रदीप सिंह ठाकुर पता-मुकुट नगर, पानी की टंकी के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन-492001	अनारक्षित	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-तीन जिला-रायपुर (छ.ग.)

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्रित (वाणिज्यिक कर) सेवा भरती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् शासित होंगे.

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 06-03/2015/वा.क. (पंजी)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष 2012 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में जिला पंजीयक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला पंजीयक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला पंजीयक के रूप में उनके सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाये जिले में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरण होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7 (1)	श्री आशुतोष कुमार कौशिक पिता-श्री नरेन्द्र कुमार कौशिक किलावार्ड पचरीघाट बिलासपुर (छ.ग.)	सामान्य	कार्यालय वरिष्ठ जिला पंजीयक रायपुर (छ.ग.)
2.	7 (2)	कु. पुष्प लता ध्रुर्वे पिता-श्री जोगराज ध्रुर्वे गली नं.-4, नया सरकंडा, जोरापारा, बिलासपुर (छ.ग.)	अ.ज.जा.	कार्यालय वरिष्ठ जिला पंजीयक दुर्ग (छ.ग.)

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

   (b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर (छ.ग.) में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. अभ्यर्थी को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उनकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल

सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक (राजपत्रित) सेवा वर्ग-2" के प्रावधानों के तहत् शासित होंगे.

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छ.ग. रायपुर के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-40/2013/XII.—संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ की तकनीकी क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए अन्य संस्थाओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 7-14/2003/12, दिनांक 20-2-2003 द्वारा विभिन्न व्यवसायिक परीक्षण एवं अन्वेषण कार्य के लिए दरें निर्धारित की गयी थी. उक्त आदेश के पैरा 3 में अन्य संस्थानों के नमूनों के व्यवसायिक रासायनिक परीक्षण हेतु निर्धारित दरों में संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार दरें निर्धारित करता है :—

Sr. No.	Name of the Mineral	Radicals to be detected	Rate per Sample (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Limestone Dolomite, Marble Calcite	SiO_2, Fe_2O_3, $A1_2O_3$, CaO, MgO, L.O.I.	1550
2.	Bauxite, Laterite	SiO_2, $A1_2O_3$, Fe_2O_3, TiO_2, L.O.I.	1600
3.	Clay, Rock, Quartz, Red Ochre, Kimberlite, Pyrophyllite, Shale, Soap Stone.	SiO_2, $A1_2O_3$, Fe_2O_3, TiO_2, Na_2O, K_2O, CaO, MgO, L.O.I.	3200
4.	Coal	For Moisture, Volatile Matter, Ash, (U.H.V.) and Fix Carbon (Proximate Analysis)	800
		Gross Calorific Value (GCV)	550
5.	Tin	Sn, SnO_2	1200

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Iron Ore	(A) SiO_2, $A1_2O_3$, Fe_2O_3, TiO_2, L.O.I.	1300
		(B) SiO_2, $A1_2O_3$, Fe_2O_3, TiO_2, L.O.I. P_2O_5, FeO, Fe_2O_3	2500
7.	Manganese Ore	SiO2, Fe2O3, MnO2, Mn	1250

3. उपर्युक्त तालिका में दर्शित किसी भी नमूने में S, P_2O_5, Na_2O, K_2O, MnO2 की मात्रा पृथक से ज्ञात करने हेतु प्रति Radical/ Element निम्नानुसार अतिरिक्त राशि देय होगी :—

Sr. No.	Radical/Element	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Sulphur (S)	500
2.	Phosphorus (P_2O_5)	500
3.	Sodium (Na_2O)	300
4.	Potassium (K_2O)	300
5.	Manganese (MnO2)	200

4. उपर्युक्त पैरा 1 एवं 2 की तालिका में दर्शित दरें आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 19 सितम्बर 2014

क्रमांक/4521/भू-अर्जन/कले./2014.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	पेटोली	0.83	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सेतु निर्माण विभाग, जगदलपुर.	सुरावंड-पेटोली मार्ग के कि.मी. 2/2 सेंदार नदी पर सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय कलेक्टर धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 26/वाचक/कलेक्टर/2015 धमतरी, दिनांक 19 जनवरी 2015

राजस्व प्र. क्र. 44 अ/3 वर्ष 2014-15

ग्रामवासी ग्राम कसपुर, प.ह.नं. 26 रा.नि.मं.
सिहावा, तहसील नगरी, जिला धमतरी .... आवेदक

विरुद्ध

छ.ग. शासन

आदेश

(पारित दिनांक 19-01-2015)

ग्रामवासीगण ग्राम कसपुर, प.ह.नं. 26, राजस्व निरीक्षक मण्डल सिहावा तहसील नगरी द्वारा एक संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन, प्रस्तुत करके ग्राम कसपुर से जामपानी को विभाजित करके पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की गई. प्रकरण की जांचोपरांत तहसीलदार नगरी का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी नगरी के अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है.

2. प्रकरण में प्राप्त कनिष्ठ अधिकारियों के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया. प्रकरण में आम ईस्तहार का प्रकाशन किया गया है. ईश्तहार प्रकाशन उपरांत आश्रितपारा-बहालुपारा एवं झुरानदी के निवासियों द्वारा लिखित आपत्ति पेश किया गया कि वे ग्राम जामपानी में सम्मिलित न होकर पूर्ववत् कसपुर में ही शामिल रहना चाहते हैं. आपत्ति का निराकरण करते हुए ग्राम कसपुर के आश्रितपारा-जामपानी, कमारपारा, लाईनपारा, चेहरापारा तथा भतकापारा को ग्राम जामपानी में तथा कसपुर, डीहीपारा, उरावापारा, झुरानदी एवं बहालुपारा को ग्राम कसपुर में शामिल करने के लिए ग्रामवासियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की सहमति से नक्शा का चिन्हांकन किया गया. तद्नुसार विवरण निम्नानुसार है :—

स. क्र.	मद का विवरण	वर्तमान में ग्राम कसपुर-जामपानी की स्थिति	विभाजन अनुसार	
			ग्राम कसपुर की स्थिति	ग्राम जामपानी की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	1255.82	751.22	404.60
2.	मकबुजा क्षेत्रफल	994.99	650.10	334.89
3.	गैर मकबुजा क्षेत्रफल	260.83	183.18	77.65
4.1	आबादी भूमि	15.34	12.96	2.38
4.2	घांस चारागन भूमि	19.24	14.63	4.61
4.3	पानी के नीचे	30.92	27.92	3.00
4.4	सड़क का रास्ता	17.15	9.84	7.31
4.5	बड़े झाड़ के जंगल	74.13	66.09	8.04
4.6	पहाड़ चट्टान	104.05	51.74	52.31
4.7	बाग अमराई	-	-	-
	योग 4.1 से 4.7 तक	**260.83**	**183.18**	**77.65**
5.	कुल खातेदारों की संख्या	620	419	201
6.	कुल भू-राजस्व	839.12	466.87	372.25
7.	जनसंख्या	2982	1596	1386

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	प्राथमिक शाला	10	06	04
9.	आंगनबाड़ी भवन	07	04	03
10.	तालाबों की संख्या	14	08	06
11.	खेल मैदान	01	01	00
12.	कब्रिस्तान/शमशान घाट	02	01	01
13.	हेण्डपम्पों की संख्या	33	22	11
14.	चौपाल एवं मनोरंजन भवन	4	03	01

3. ग्राम कसपुर एवं जामपानी को पृथक-पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव दिनांकित 01-09-2014 सर्व सम्मति से पारित किया गया.

4. प्रकरण की उपरोक्त स्थिति से मेरा यह समाधान हो गया है कि,

1- ग्राम कसपुर एवं जामपानी की दूरी 02 किलो मीटर है तथा क्षेत्रफल इतना अधिक है कि वे अलग-अलग ईकाई के रूप में सुविधा पूर्वक प्रबंधनीय होगा.

2- ग्राम कसपुर एवं जामपानी के लिये पर्याप्त दखल रहित भूमियां है जिसके कारण सामाजिक अधिकारों का उपभोग पृथक-पृथक रूप से संचालित किया जाना, सुविधाजनक होगा.

3- ग्राम कसपुर एवं जामपानी के लिए पृथक-पृथक भौगोलिक क्षेत्र, मकबुजा क्षेत्र, आबादी चारागान, रास्ता, प्राथमिक शाला, आंगनबाड़ी भवन, तालाबों की संख्या, खेल मैदान, कब्रिस्तान इत्यादि भी है.

4- ग्राम कसपुर एवं जामपानी को पृथक-पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने से दोनों ग्राम के आम जनता को समुचित सुविधा होगी.

अत: मैं भीम सिंह, कलेक्टर धमतरी, छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 एवं छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-400/2013/सात-1 नया रायपुर दिनांक 7 जुलाई, 2014 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व निरीक्षक मण्डल-सिहावा, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी स्थित राजस्व ग्राम-कसपुर को विभाजित करके ग्राम कसपुर, प.ह.नं. 26 एवं ग्राम जामपानी, प.ह.नं. 26 के रूप में पृथक-पृथक राजस्व ग्राम गठित करने का आदेश पारित करता हूं.

यह आदेश आगामी राजस्व वर्ष 2015-16 से प्रभावी होगा. अत: अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के जारी होने के दो माह के भीतर एक दल तैयार करके, दोनों ग्राम का खसरा क्रमांक 01 से प्रारंभ करके पुनरांकित कर लेवें तथा इसी प्रकार नक्शा सहित अन्य सभी भू-अभिलेख भी अलग-अलग तैयार कर लेवें तत्पश्चात् पालन प्रतिवेदन देवें. इस आदेश की प्रतिलिपि छ.ग. राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजा जावे तथा सर्व संबंधितों की ओर दोनों ग्रामों को पृथक पृथक ग्राम के रूप में अपने-अपने अभिलेख में अभिलिखित कर अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा जावे.

यह आज दिनांक 19-01-2015 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा सहित पारित किया जावे.

भीम सिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/4868.—कलेक्टर जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र. वित्त/-1/2014/6143 दिनांक 22-11-2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रा के भारसाधक अधिकारी श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड का बिलासपुर स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर पदस्थ श्री ओमप्रकाश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रा के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री ओमप्रकाश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पेण्ड्रा जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/4872.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/4744-45 रायपुर, दिनांक 18-10-2012 द्वारा श्री आर. के. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अकलतरा को कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1202/खाद्य/2014 दिनांक 26-11-2014 द्वारा श्री संदीप ठाकुर तहसीलदार, तहसील कार्यालय अकलतरा को कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आर. के. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अकलतरा का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री संदीप ठाकुर, तहसीलदार, तहसील कार्यालय अकलतरा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st December 2014

No. 48 (mis)/I-7-3/2014 (Pt.-II).—The Second National Lok Adalat is Scheduled to be held on Saturday, the 6th December, 2014 therefore, in partial modification of Calendar of Subordinate Court of this High Court for the year 2014, 06th December, 2014 is declared as a Court holiday for Subordinate Courts of the State and in lieu thereof, the Second Saturday falling on 13th December, 2014 is declared as working day for the said Courts and all the matters fixed for 06th December, 2014 be taken up on 13th December 2014.

By order of the Hon'ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 29th January 2015

No. 661/L.G./2015/II-3-19/2008.—Shri N. K. Chandrawanshi, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur is hereby granted earned leave for 13 days from 01-01-2015 to 13-01-2015 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chandrawanshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+02 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th January 2015

No. 662/L.G./2015/II-3-23/2010.—Shri Shailesh Kumar Tiwari, Judge, Family Court, Manendragarh, District Koriya is hereby, granted earned leave for 03 days from 01-01-2015 to 03-01-2015 along with permission to remain out of headquarters from 01-01-2015 till 05-01-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 250 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th January 2015

No. 663/L.G./2015/II-2-36/2004.—Shri Radhakishan Agrawal, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 05 days from 12-01-2015 to 16-01-2015 along with permission to leave headquarters from the evening of 09-01-2015 till 18-01-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Agrawal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 289 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th January 2015

No. 664/L.G./2015/II-2-07/2002.—Shri T. K. Jha, Judge, Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 03 days from 22-01-2015 to 24-01-2015 along with permission to remain out of headquarters from 22-01-2015 till 26-01-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 253 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th January 2015

No. 665/L.G./2015/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradia, Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 19-01-2015 to 23-01-2015 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 18-01-2015 till the evening of 23-01-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradia, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 270 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).